

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीक

..... बनाम केलाश डारी
 नाम स्वल्प
 किस्म मुकदमा डीका मु.नं. 129 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	<p>1/25/4217 दिनांक 19/11/23 के द्वारा (अपराध) प्रत्येक छात्रों को जारी इकाई का सफाई कर करीब जारी अंतरदात एतमत के बड़े एकपक्षीय युक्ति (अपराध) पत्रों का उपलोकन किया गया। जारी का वास एतदति के आधार पर तदपीपत्र के द्वारा विभिन्न छात्रों को जारी किया गया। अति के अनुसार वास विधि द्वारा जारी की विधि व विधि प्रत्येक (अपराध) छात्र जारी कर वली इकाई को जारी किया गया। जारी वास तदपीपत्र जारी किया गया।</p>



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

